

शीतकालीन सत्र 2021

प्रलमिस के लिये:

संसद की बैठक की समाप्ति, स्थगन, अनश्चिति काल के लिये स्थगन, सत्रावसान और वधितन।

मेन्स के लिये:

संसद के शीतकालीन सत्र में पारति महत्त्वपूर्ण वधियक।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र को अनश्चिति काल के लिये स्थगति कर दिया गया है (पुनः बैठक के लिये दिनि नरिधारति कयि बनिा संसद की बैठक को समाप्त करना)। इस सत्र में कुछ महत्त्वपूर्ण वधियानों को पारति कयिा गया।

प्रमुख बदि

- **संसद की बैठक की समाप्ति:** दोनों सदनों में संसद की बैठक को नमिनलखिति प्रावधानों के द्वारा समाप्त कयिा जा सकता है:
 - **स्थगन (Adjournment)**
 - **अनश्चितिकाल के लिये स्थगन (Adjournment sine die),**
 - **सत्रावसान (Prorogation)**
 - **वधितन (राज्यसभा के लिये लागू नहीं)**
- **स्थगन (Adjournment):** स्थगन एक नश्चिति समय के लिये बैठक में कामकाज को नलिंबति कर देता है। स्थगन कुछ घंटे, दिनि या सप्ताह के लिये हो सकता है।
 - जब बैठक अगली बैठक के लिये नयित कसिी नश्चिति समय/तथिके बनिा समाप्त हो जाती है तो इसे अनश्चितिकाल के लिये स्थगन कहा जाता है।
 - स्थगन और अनश्चितिकाल के लिये स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है।
- **अनश्चितिकाल के लिये स्थगन:** अनश्चितिकाल के लिये स्थगन का अर्थ है अनश्चितिकाल के लिये संसद की बैठक को समाप्त करना, यानी सदन को फरि से शुरु करने हेतु कोई एक दिनि नरिधारति कयिे बनिा स्थगति कर दिया जाता है, तो इसे स्थगन कहा जाता है।
 - अनश्चितिकाल के लिये स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है।
 - हालाँकि कसिी सदन का पीठासीन अधिकारी उस तारीख या समय से पहले या सदन के अनश्चितिकाल के लिये स्थगति होने के बाद कसिी भी समय सदन की बैठक बुला सकता है।
- **सत्रावसान (Prorogation):**
 - सत्रावसान शब्द का अर्थ संवधिान के अनुच्छेद 85(2)(ए) के तहत राष्ट्रपति द्वारा दयिे गए आदेश द्वारा सदन के एक सत्र की समाप्ति से है।
 - सत्रावसान सदन की बैठक और सत्र दोनों को समाप्त करना है और आमतौर पर यह पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को अनश्चितिकाल के लिये स्थगति करने के कुछ दिनों के भीतर कयिा जाता है।
 - राष्ट्रपति सत्र के सत्रावसान के लिये एक अधिसूचना जारी करता है।
 - हालाँकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान सदन का सत्रावसान भी कर सकता है।
 - यह ध्यान दयिा जाना चाहिये कि बलि पेश करने के अलावा सभी लंबति नोटसि व्यपगत हो जाते हैं।
 - एक सदन के सत्रावसान और नए सत्र में उसके पुनः समवेत होने के बीच की अवधि को एक अवकाश कहा जाता है।
- **वधितन (Dissolution):** जब भी कोई वधितन होता है, तो इससे मौजूदा सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और आम चुनाव के बाद एक नए सदन का गठन होता है।
 - हालाँकि केवल लोकसभा का वधितन हो सकता है राज्यसभा स्थायी सदन होने के कारण वधितति नहीं हो सकती है।

संसद के सदनों द्वारा पारति कुछ महत्त्वपूर्ण वधियक:

- **कृषि कानून नरिसन वधियक, 2021:** कसिानों के वरिोध को देखते हुए नमिनलखिति तीन कृषि कानूनों को नरिसत करने के लयि वधियक पेश करके पारति कयिा गया:
 - मूल्य आशवासन और कृषि सेवा अधनियम, 2020 पर कसिान (सशकतीकरण और संरक्षण) समझौता
 - कसिान उपज व्यापार और वाणजिय (संवरधन और सुवधि) अधनियम, 2020
 - आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधनियम, 2020
- **बाँध सुरक्षा वधियक, 2021:** यह बाँध की वफिलता से संबंधति आपदाओं की रोकथाम के लयि नरिदषिट बाँध की नगिरानी, नरिीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है।
 - यह उनके सुरक्षति कामकाज को सुनश्चिति करने के लयि और उससे जुड़े या उसके आनुषंगकि मामलों के लयि संस्थागत तंत्र प्रदान करने का भी प्रयास करता है।
- **सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (वनिियम) वधियक, 2021:** यह सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों के वनिियमन एवं पर्यवेक्षण, दुरुपयोग की रोकथाम, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं के सुरक्षति व नैतिक अभ्यास का प्रावधान करता है।
 - इसने राष्ट्रीय बोर्ड, राज्य बोर्डों और राष्ट्रीय रजसिटरी की स्थापना की भी परकिल्पना की।
- **सरोगेसी (वनिियमन) वधियक, 2021:** यह देश में सरोगेसी सेवाओं के नयिमन का प्रावधान करता है।
 - यह सरोगेट माताओं के संभावति शोषण को रोकता है तथा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है।
- **राष्ट्रीय औषधीय शक्तिषा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन वधियक, 2021:** यह स्पष्टता प्रदान करता है कि राष्ट्रीय औषधीय शक्तिषा और अनुसंधान संस्थान अधनियम के तहत स्थापति संस्थान राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान होंगे।
 - इसने एक केंद्रीय नकिया की भी स्थापना की, जसिे औषधीय शक्तिषा और अनुसंधान एवं मानकों के रखरखाव आदि के समन्वति वकिस सुनश्चिति करने के लयि परषिद कहा जाएगा।
- **उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शरतें) संशोधन वधियक, 2021:** यह स्पष्टता लाने का प्रयास करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक नश्चिति आयु प्राप्त करने पर पेंशन या पारविरकि पेंशन की अतरिकित मात्रा पाने के हकदार कब होते हैं।
- **नारकोटकि ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिकी सबसटेंस (संशोधन) वधियक, 2021:** बलि अधनियम की धारा 27ए में प्रारूपण त्रुटिको ठीक करने के लयि इस वर्ष (2021) की शुरुआत में प्रख्यापति एक अध्यादेश की जगह लेगा।
- **दलिली वशिष पुलसि स्थापना (संशोधन) वधियक, 2021:** यह केंद्रीय जाँच ब्यूरो के नदिशक के कार्यकाल को जनहति में एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान करता है, जब तक कि प्रारंभकि नयिकर्ता में उल्लखिति अवधि सहति कुल मलिाकर पाँच साल पूरे नहीं हो जाते।
- **केंद्रीय सतरकता आयोग (संशोधन) वधियक, 2021:** यह प्रवर्तन नदिशालय के नदिशक के कार्यकाल को जनहति में एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान करता है, जब तक कि प्रारंभकि नयिकर्ता में उल्लखिति अवधि सहति कुल मलिाकर पाँच वर्ष पूरे नहीं हो जाते।
- **चुनाव कानून (संशोधन) वधियक, 2021:** यह वभिनिन स्थानों पर एक ही वयकृति के कई नामांकन के खतरे को रोकने के लयि मतदाता सूची डेटा को आधार पारस्थितिकि तंत्र से जोड़ने का प्रावधान करता है।

स्रोत: पीआईबी